



नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01

अंक : 197

दि. 21.04.2026,

मंगलवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

महिला आरक्षण पर सियासी घमासान: आरोप-प्रत्यारोप के बीच बहस की खुली चुनौती, सड़कों से संसद तक तेज हुआ संघर्ष

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा अब केवल एक विधायी बहस नहीं रह गया है, बल्कि यह सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई का रूप ले चुका है। एक ओर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे को महिला सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल बताते हुए विपक्ष पर तीखे हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने इस पूरे विमर्श को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए खुली बहस की चुनौती दे दी है। इस टकराव ने न केवल राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में महिला आरक्षण का मुद्दा चुनावी एजेंडे के केंद्र में रहने वाला है। सोमवार को मुंबई में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करना देश की करोड़ों महिलाओं के अधिकारों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल लंबे समय से महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ मानसिकता रखते आए हैं और अब भी उसी सोच के तहत इस ऐतिहासिक विधेयक का विरोध कर रहे हैं। फडणवीस ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी राज्यभर में एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके तहत एक करोड़ महिलाओं के हस्ताक्षर एकत्र किए जाएंगे। उनका कहना था कि यह अभियान केवल समर्थन जुटाने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि यह महिलाओं की आवाज को मजबूती देने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का भी प्रयास होगा। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में यह भी



कहा कि भाजपा इस मुद्दे को गांव-गांव और शहर-शहर तक लेकर जाएगी, ताकि हर महिला को यह समझाया जा सके कि यह विधेयक उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में यह जनसमर्थन विपक्ष

को अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देगा। फडणवीस ने यहां तक कहा कि 2029 तक महिला आरक्षण का पूर्ण क्रियान्वयन संभव है और यह देश की राजनीतिक संरचना में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हालांकि, मुख्यमंत्री के इन बयानों के तुरंत बाद विपक्ष की ओर से तीखी

प्रतिक्रिया सामने आई। सुप्रिया सुले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महिला आरक्षण जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि वे इस विषय पर कहीं भी, कभी भी खुली बहस के लिए तैयार हैं। सुले ने यह भी संकेत दिया कि मुख्यमंत्री पर केंद्र से दबाव हो सकता है, जिसके कारण वे इस मुद्दे को एकतरफा तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। सुप्रिया सुले ने अपने बयान में एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया कि जब महिला आरक्षण विधेयक 2023 में संसद द्वारा पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है, तो फिर इसके क्रियान्वयन में देरी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए

कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया और महिला आरक्षण के लागू होने के बीच क्या संबंध है, और आखिर क्यों इसे तत्काल लागू नहीं किया जा रहा। उनके इस सवाल ने पूरे विवाद को एक नई दिशा दे दी है, जहां अब बहस केवल समर्थन और विरोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके क्रियान्वयन की समयासीमा और प्रक्रिया पर भी केंद्रित हो गई है। इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष एक तरफ महिला आरक्षण का समर्थन करने का दावा करता है, जबकि दूसरी तरफ राजनीतिक कारणों से इसके रास्ते में बाधाएं खड़ी करता है। उनके अनुसार, यह व्यवहार महिलाओं की भावनाओं के साथ सीधा विश्वासघात है। वसोवा में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसेना नेताओं का कहना था कि उनकी पार्टी हमेशा महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए खड़ी रही है और भविष्य में भी इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस प्रदर्शन ने यह संकेत दिया कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनआंदोलन का रूप भी ले सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला आरक्षण को लेकर यह टकराव आने वाले चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है। एक ओर जहां सत्तापक्ष इसे महिला सशक्तिकरण के एजेंडे के

रूप में प्रस्तुत कर रहा है, वहीं विपक्ष इसके क्रियान्वयन में हो रही देरी और राजनीतिक मंशा पर सवाल उठा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला आरक्षण का मुद्दा केवल कानून बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी उतनी ही आवश्यकता है। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय जो माहौल बना हुआ है, वह आने वाले दिनों में और अधिक तीखा हो सकता है। बयानबाजी, आरोप-प्रत्यारोप और सार्वजनिक प्रदर्शन इस बात का संकेत हैं कि यह मुद्दा अभी लंबे समय तक राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बना रहेगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बहस किसी ठोस समाधान की ओर बढ़ेगी या फिर यह केवल राजनीतिक लाभ-हानि के समीकरण तक ही सीमित रह जाएगी।

फ्रीबीज बहस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट, नई याचिका खारिज कर कहा—मामला पहले से विचाराधीन

(जीएनएस)। नई दिल्ली में चुनावी राजनीति के सबसे विवादाित मुद्दों में से एक—'फ्रीबीज' यानी मुफ्त योजनाओं—पर एक अहम न्यायिक घटनाक्रम सामने आया है। Supreme Court of India ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं के वादों पर रोक लगाने की मांग वाली एक नई याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि इस विषय से जुड़े कई मामले पहले से ही उसके समक्ष लंबित हैं, इसलिए समान प्रकृति की नई याचिका पर अलग से सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब देश में चुनावी घोषणापत्रों में किए जाने वाले वादों को लेकर बहस तेज है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी संसाधनों के आधार पर मुफ्त सुविधाओं का वादा करना न केवल वित्तीय अनुशासन के खिलाफ है, बल्कि यह मतदाताओं को प्रभावित करने का एक माध्यम भी बन सकता है। याचिका में इसे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए खतरा बताते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि इस तरह के वादों को 'भ्रष्ट आचरण' की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित



कर सकते हैं। इसके साथ ही, Election Commission of India को निर्देश देने की मांग की गई थी कि यह ऐसे वादों पर सख्ती से रोक लगाए और उल्लंघन करने वाले दलों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे। एक ओर महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया था कि राजनीतिक दलों को अपने घोषणापत्र में यह स्पष्ट करना चाहिए कि जिन मुफ्त सुविधाओं का वे वादा कर रहे हैं, उनके लिए वित्तीय संसाधन कहां से आएंगे। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि मतदाता भी यह समझ पाएंगे कि वे वादे कितने व्यवहारिक और टिकाऊ हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के

गुण-दोष पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की, बल्कि प्रक्रिया के आधार पर इसे खारिज किया। अदालत का कहना था कि चूंकि इस विषय पर पहले से ही व्यापक सुनवाई चल रही है, इसलिए नई याचिका पर अलग से विचार करना न्यायिक समय और संसाधनों का उचित उपयोग नहीं होगा। यह निर्णय अपने आप में यह संकेत देता है कि 'फ्रीबीज' का मुद्दा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में बना हुआ है। पहले से लंबित याचिकाओं में इस विषय के विभिन्न पहलुओं—आर्थिक प्रभाव, संवैधानिक वैधता और चुनावी निष्पक्षता—पर विस्तार से विचार किया जा रहा है।

देश में 'फ्रीबीज' की राजनीति लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। कुछ लोग इसे कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा मानते हैं, जो गरीब और वंचित वर्गों को राहत देती हैं, जबकि अन्य इसे राजकोषीय अनुशासन के लिए खतरा और चुनावी लाभ पाने का साधन बताते हैं। इस बहस में यह सवाल भी बार-बार उठता है कि सरकार को जिम्मेदारी और राजनीतिक लाभ के बीच की रेखा कहां खींची जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह रुख इस बात को भी रेखांकित करता है कि ऐसे जटिल मुद्दों पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय व्यापक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी फैसला हो, वह सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए और दीर्घकालिक प्रभावों को समझते हुए लिया जाए। फिलहाल, इस नई याचिका के खारिज होने के बावजूद 'फ्रीबीज' पर बहस जारी रहेगी। अब निगाहें उन लंबित मामलों पर टिकी हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट भविष्य में कोई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश या फैसला दे सकता है। यह फैसला न केवल चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि देश की आर्थिक नीतियों और शासन प्रणाली पर भी दूरगामी असर डाल सकता है।

(जीएनएस)। Chennai में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। चर्चित अभिनेता और राजनीतिक चेहरा Vijay अब अपने चुनावी हलफनामों को लेकर विवादों में घिर गए हैं। Madras High Court ने उनके खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए उन्हें, Election Commission of India और Income Tax Department को नोटिस जारी किया है। यह मामला उस समय सामने आया, जब चुनावी हलफनामों में संपत्ति के ब्योरे को लेकर कथित विसंगतियों का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता वी. विनेशा ने अदालत में दावा किया कि विजय द्वारा अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से दाखिल किए गए फॉर्म 26 हलफनामों में संपत्ति के आंकड़े मेल नहीं खाते। याचिका के अनुसार, Tiruchirappalli East निर्वाचन क्षेत्र से दाखिल हलफनामों में विजय की चल संपत्ति 224 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि Perambur से दाखिल दूसरे हलफनामों में यह आंकड़ा केवल 105 करोड़ रुपये दर्शाया गया। दोनों ब्योरे के बीच 100 करोड़ रुपये से अधिक का अंतर सामने आने के बाद यह



मामला गंभीर बन गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इतनी बड़ी राशि का अंतर बिना किसी स्पष्ट स्पष्टीकरण के दर्शाया जाना न केवल संदिग्ध है, बल्कि यह चुनावी पारदर्शिता के नियमों के खिलाफ भी हो सकता है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि इस मामले की विस्तृत जांच कराई जाए और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने भी इस अंतर को गंभीरता से लिया। मौखिक टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि इतनी

बड़ी वित्तीय भिन्नता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यह एक संभावित अनियमितता की ओर इशारा करता है। यही कारण है कि अदालत ने संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस घटनाक्रम ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है। चुनावी हलफनामों में पारदर्शिता वक्त रहे हैं? और यदि नहीं, तो ऐसी स्थिति में कानून किस तरह सख्ती से लागू किया जाना चाहिए? आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा और अदालत का रुख चुनावी राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

को प्रभावित कर सकता है। विजय, जो इस चुनाव में एक प्रमुख और चर्चित चेहरा बने हुए हैं, उनके लिए यह विवाद राजनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। उनके समर्थकों के बीच जहां इस मामले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं विपक्षी दल इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उठा सकते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई प्रतिवादियों के जवाब दाखिल करने के बाद होगी। अदालत के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि दोनों हलफनामों में संपत्ति के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर क्यों है और क्या यह केवल तकनीकी गलती है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। फिलहाल, यह मामला चुनावी माहौल में एक नई बहस को जन्म दे चुका है—क्या उम्मीदवार अपने हलफनामों में पूरी पारदर्शिता वक्त रहे हैं? और यदि नहीं, तो ऐसी स्थिति में कानून किस तरह सख्ती से लागू किया जाना चाहिए? आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा और अदालत का रुख चुनावी राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

होर्मुज में टकराव से कूटनीति पर छाया संकट, ईरान-अमेरिका वार्ता अनिश्चित

(जीएनएस)। मध्य पूर्व के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में गिने जाने वाले Strait of Hormuz में हालिया घटनाक्रम ने क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। Iran और United States के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध इस घटना के बाद और अधिक जटिल हो गए हैं। अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक पोत को रोककर जब्त किए जाने की कार्रवाई ने न केवल सैन्य स्तर पर तनाव बढ़ाया है, बल्कि दोनों देशों के बीच संभावित वार्ता की दिशा को भी धुंधला कर दिया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्कों को फिर से शुरू करने की संभावना पर चर्चा चल रही थी। लेकिन समुद्र में हुई इस कार्रवाई ने भरोसे के उस नाजुक ताने-बाने को झटका दिया है, जिस पर किसी भी बातचीत की नींव टिकती है। अमेरिका का कहना है कि संबंधित पोत उसकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था, जबकि ईरान ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताते हुए 'लूटमार' जैसी कठोर संज्ञा दी है। घटना के विवरण के अनुसार, अमेरिकी नौसेना के एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक ने 'तुस्क' नामक पोत को रोककर अपने नियंत्रण में लिया और उसकी तलाशी ली। इस दौरान पोत की गतिविधियों और उसमें मौजूद सामान की जांच की गई। हालांकि, यह केवल एक सैन्य



कार्रवाई पर नहीं थी, बल्कि इसके राजनीतिक और कूटनीतिक निहितार्थ कहीं अधिक व्यापक हैं। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी है। हालांकि तत्काल प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत सीमित रही, जिसके पीछे मानवीय कारण बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, पोत पर चालक दल के साथ उनके परिजन भी मौजूद थे, जिनकी सुरक्षा को प्रार्थमिकता देते हुए ईरान ने त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया से परहेज किया। यह पहलू इस पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बना देता है, क्योंकि इसमें केवल रणनीतिक हित ही नहीं, बल्कि मानवीय चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। इस टकराव का सबसे बड़ा असर कूटनीतिक मोर्चे पर देखने को मिल रहा है। Abbas Araghchi ने अमेरिकी कब्जा को वार्ता से पहले की 'गैर-ईमानदार मंशा' करार दिया

है। उनका कहना है कि जब एक पक्ष बातचीत की बात करता है और दूसरी ओर ऐसी सैन्य कार्रवाई करता है, तो यह विश्वास निर्माण की प्रक्रिया को कमजोर करता है। इस बीच, Pakistan ने इस बढ़ते तनाव के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन और तेहरान दोनों से संपर्क बढ़ाया है, ताकि संभावित वार्ता को फिर से पटरी पर लाया जा सके। पाकिस्तान की यह सक्रियता इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय देश भी इस टकराव के व्यापक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं और किसी बड़े संघर्ष को टालने के प्रयास में जुटे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक है। यह मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। ऐसे में यहां

किसी भी प्रकार का तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर सीधा असर डाल सकता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास को और गहरा कर दिया है। ऐसे में निकट भविष्य में किसी ठोस वार्ता की संभावना कम होती दिखाई दे रही है। हालांकि कूटनीति में परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, वे अनिश्चितता की ओर इशारा करते हैं। यह घटनाक्रम यह भी दर्शाता है कि सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। एक ओर सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा जरूरी होती है, वहीं दूसरी ओर संवाद और विश्वास निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब इनमें संतुलन बिगड़ता है, तो तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। फिलहाल, होर्मुज में बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को सतर्क कर दिया है। दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ईरान किस तरह की प्रतिक्रिया देता है और क्या अमेरिका अपनी रणनीति में कोई बदलाव करता है। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम करने में सफल हो पाते हैं या फिर यह टकराव किसी बड़े संकट का रूप ले लेता है।



नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी



JioTV
CHENNAL NO. 2063

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

संपादकीय

नैतिकता अनुरूप हो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

आज का समय मानव इतिहास के सबसे परिवर्तनकारी दौरों में से एक माना जा रहा है, जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने हमारी सोच, कार्यशैली और सामाजिक संरचनाओं को गहराई से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। एक ओर यह तकनीक अभूतपूर्व गति, दक्षता और नवाचार का माध्यम बनी है, वहीं दूसरी ओर इसके बढ़ते प्रभाव को लेकर वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंताएँ भी उभर रही हैं। समाज के बुद्धिजीवी, आध्यात्मिक गुरु और सामाजिक चिंतक लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और उपयोग नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हुआ, तो इसके परिणाम मानवता के लिए घातक हो सकते हैं। इसी संदर्भ में Pope Leo XIV की हालिया चेतावनी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें उन्होंने आशंका जताई कि एआई वैश्विक ध्रुवीकरण, संघर्ष, भय और हिंसा को बढ़ावा दे सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मूल स्वभाव उदरस्थ माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। इसे बनाने वाले मनुष्य अपने विचार, पूर्वाग्रह और उद्देश्यों को इसमें कहीं न कहीं शामिल कर देते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि एआई का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किस तरह डिजाइन किया गया है और किन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। यदि इसका उपयोग जनकल्याण के लिए किया जाए तो यह वरदान सिद्ध हो सकती है, लेकिन यदि इसे सत्ता, नियंत्रण या मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो इसके दुष्परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। हाल के वर्षों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में एआई के दुरुपयोग के कई उदाहरण सामने आए हैं। चुनावों के दौरान डीपफेक वीडियो और क्लोन की गई आवाजों का उपयोग करके झूठी सूचनाएँ फैलाई गईं, जिससे मतदाताओं को भ्रमित किया गया। इस तरह की घटनाएँ न केवल लोकतंत्र की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं, बल्कि जनता के विश्वास को भी कमजोर करती हैं। जब नागरिकों को यह भरोसा ही न रहे कि वे जो देख और सुन रहे हैं वह वास्तविक है या नहीं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की नींव ही हिलने लगती है। साइबर अपराध के क्षेत्र में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने एक नई चुनौती प्रस्तुत की है। पहले जहाँ ठगों के लिए सीमित संसाधन और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी, अब एआई के माध्यम से यह कार्य बेहद आसान और व्यापक हो गया है। आवाज की क्लोनिंग के जरिए अपराधी किसी व्यक्ति के परिचित बनकर संपर्क करते हैं और भावनात्मक दबाव बनाकर आर्थिक धोखाधड़ी करते हैं। इस प्रकार के अपराधों में लाखों लोग अपनी जीवन भर की कमाई गंवा चुके हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि तकनीक का दुरुपयोग किस हद तक खतरनाक हो सकता है। विशेष क्षेत्र में एआई का संभावित खतरा और भी गंभीर है। उन्नत एआई सिस्टम बैंकिंग नेटवर्क की कमजोरियों को पहचानकर स्वचालित हमले कर सकते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत खातों को नुकसान हो सकता है, बल्कि पूरी आर्थिक व्यवस्था अस्थिर हो सकती है। यदि भूतान प्रणाली में बाधा आती है या बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी होती है, तो इससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। यही कारण है कि नियामक संस्थाओं के लिए एआई से उत्पन्न जोखिमों को समझना और उनका समाधान करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

राजनैतिक और सामाजिक स्तर पर भी एआई का प्रभाव गहरा है। फर्जी समाचार, दुष्प्रचार और एल्गोरिदमिक पक्षपात के माध्यम से समाज में विभाजन पैदा किया जा सकता है। इससे विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ता है और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुँचता है। Pope Leo XIV ने इसी खतरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि एआई का उपयोग जिम्मेदारी से नहीं किया गया, तो यह मानवता को जोड़ने के बजाय तोड़ने का माध्यम बन सकता है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एआई सिस्टम को संचालित करने के लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स की आवश्यकता होती है, जो भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करते हैं। इसके अलावा, कोबाल्ट और लिथियम जैसे खनिजों की बढ़ती मांग ने खनन गतिविधियों को तेज कर दिया है, जिससे पर्यावरण को नुकसान और स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार, एआई का विकास केवल तकनीकी प्रगति का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। हालाँकि, इन सभी चुनौतियों के बावजूद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चिकित्सा क्षेत्र में यह बीमारियों के शीघ्र और सटीक निदान में मदद कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में यह व्यक्तिगत सीखने के अनुभव को बेहतर बना रही है। निर्याद प्रबंधन में यह त्वरित निर्णय लेने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग में सहायक सिद्ध हो रही है। इसलिए यह स्पष्ट है कि एआई को पूरी तरह नकारना न तो संभव है और न ही उचित। समाधान का रास्ता संतुलन और जिम्मेदारी में निहित है। सरकारों को चाहिए कि वे एआई के विकास और उपयोग के लिए सख्त और स्पष्ट नियम बनाएं। कंपनियों को अपने एल्गोरिदम में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने चाहिए, ताकि उपयोगकर्ता का विश्वास बना रहे।

अभियान

आस्था, उपचार और आत्मबल का संगम: शिव के 'हीलिंग मंदिर' की अनूठी परंपरा

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं रहे, बल्कि वे मनुष्य के मानसिक, भावनात्मक और कभी-कभी शारीरिक संतुलन के केंद्र भी माने जाते रहे हैं। यहाँ धर्म और जीवन का संबंध इतना गहरा है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं, पीड़ा और आशाओं को लेकर ईश्वर के समक्ष उपस्थित होता है और वहीं से उसे संश्लेष, साहस और दिशा मिलती है। दक्षिण भारत के Tamil Nadu में स्थित Thiruneelakudi का Neelakandeswarar Temple इसी आस्था और विश्वास का एक जीवंत उदाहरण है, जिसे लोग श्रद्धा से 'हीलिंग टैपल' के रूप में जानते हैं। यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि एक विशेष मान्यता के कारण भी अत्यंत लोकप्रिय हो चुका है। यहाँ आने वाले अनेक भक्त विशेष रूप से थायराइड और महलाओं में होने वाली पीसीओएस जैसी समस्याओं से राहत की कामना लेकर आते हैं। यद्यपि यह कोई चिकित्सीय उपचार केंद्र नहीं है और न ही इसका कोई वैज्ञानिक दावा किया जाता है, फिर भी लोगों की आस्था और अनुभव इसे

एक अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह वही स्थान है, जहाँ व्यक्ति केवल दवा नहीं, बल्कि विश्वास और मनोबल की शक्ति लेकर लौटता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा Neelkanth रूप में की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब उपमंत्र से एक भयंकर विष निकला, जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया। उस समय भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष की तीव्रता के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे 'नीलकंठ' कहलाए। इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ भी अत्यंत गहरा है—यह त्याग, धैर्य और पीड़ा को सहकर भी दूसरों के कल्याण का संदेश देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी पीड़ा को शांत करने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ पर तेल अर्पित किया था। इसी परंपरा की स्मृति में इस मंदिर में भी विशेष रूप से तेल चढ़ाने की प्रथा है। भक्तजन मानते हैं कि जिस प्रकार भगवान शिव के कंठ की जलन शांत हुई, उसी प्रकार उनके अपने गले

और हार्मोन से जुड़ी समस्याएँ भी शांत हो सकती हैं। यह विश्वास ही उन्हें यहाँ तक खींच लाता है और उत्तर भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस मंदिर की एक विशेष पहचान इसकी 'विभूति' है, जिसे अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक माना जाता है। भक्तजन इस विभूति को अपने गले पर लगाते हैं और इसे अपनी समस्याओं के समाधान का माध्यम मानते हैं। यह विभूति केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह विश्वास, आशा और आत्मबल का प्रतीक बन जाती है। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इसे ग्रहण करता है, तो उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है, जो उसे अपनी बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ आने वाली महिलाओं में विशेष रूप से पीसीओएस जैसी समस्या से जूझ रही महिलाएँ होती हैं। आधुनिक जीवनशैली, तनाव, खान-पान की अनियमितता और हार्मोनल असंतुलन के कारण यह समस्या आज के समय में तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जब चिकित्सा उपचार के साथ-साथ मानसिक तनाव भी बढ़ता है, तब व्यक्ति को किसी ऐसे

सहारे की आवश्यकता होती है, जो उसे भावनात्मक संतुलन प्रदान कर सके। यह मंदिर उसी भावनात्मक सहारे का केंद्र बन जाता है, जहाँ महिलाएँ अपनी समस्याओं को लेकर आती हैं और मानसिक रूप से सशक्त होकर लौटती हैं। थायराइड जैसी समस्याएँ भी आज के समय में आम हो चुकी हैं, जो सीधे तौर पर गले और हार्मोनल संतुलन से जुड़ी होती हैं। इस मंदिर में आकर लोग अपने गले पर विभूति लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि उन्हें राहत मिलेगी। यह विश्वास भले ही वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध न हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह व्यक्ति को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जो किसी भी उपचार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह समझना भी आवश्यक है कि ऐसे मंदिरों की भूमिका चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं होती, बल्कि यह एक पूरक के रूप में कार्य करते हैं। जब व्यक्ति अपने मन को शांत करता है, तेजी से बड़ रही है। ऐसे में जब चिकित्सा उपचार के साथ-साथ मानसिक तनाव भी बढ़ता है, तब व्यक्ति को किसी ऐसे

देता है। इस दृष्टि से देखा जाए, तो यह मंदिर एक प्रकार से मानसिक और आध्यात्मिक उपचार का केंद्र बन जाता है। तमिलनाडु में ही स्थित Vaitheeswaran Koil भी इसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहाँ भगवान शिव को 'वैद्य' के रूप में पूजा जाता है। यहाँ का सिद्धामतम कुंड विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसके जल को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। भक्तजन इस जल का सेवन करते हैं और इसे त्वचा संबंधी रोगों से राहत दिलाने वाला मानते हैं। इस प्रकार, दक्षिण भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जहाँ आध्यात्मिकता और उपचार की अवधारणाएँ एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सभी मान्यताओं के पीछे सबसे महत्वपूर्ण तत्व है—आस्था। आस्था वह शक्ति है, जो मनुष्य को निराशा से आशा की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में होता है, तो उसे केवल दवाओं की नहीं, बल्कि मानसिक सहारे की भी आवश्यकता होती है। मंदिर, पूजा और प्रार्थना इसी मानसिक सहारे का माध्यम बनते हैं। यह व्यक्ति को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है और

एक उच्च शक्ति उसके साथ है। आज के आधुनिक युग में, जहाँ विज्ञान और तकनीक ने चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, वहीं यह भी सत्य है कि केवल शारीरिक उपचार ही पर्याप्त नहीं होता। मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी उतने ही आवश्यक हैं। ऐसे में ये मंदिर एक संतुलन प्रदान करते हैं, जहाँ व्यक्ति आधुनिक चिकित्सा के साथ-साथ आध्यात्मिक शक्ति का भी सहारा ले सकता है। अंततः, Neelakandeswarar Temple केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, आत्मबल और आशा का प्रतीक है। यहाँ आने वाले लोग केवल अपनी समस्याओं से समाधान नहीं ढूँढते, बल्कि अपने भीतर एक नई ऊर्जा और कर्मचालिता का सम्मान केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और विश्वास से भी किया जा सकता है। जब आस्था और प्रयास एक साथ चलते हैं, तब ही सच्चा संतुलन और उपचार संभव होता है।

“

विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। दरअसल, इस बार नए विधेयक पर आम सहमति न तो चाही गई और न ही हासिल की गई क्योंकि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में परस्पर बातचीत नहीं हुई। जबकि 2023 में कांग्रेस समेत विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम एकमत से पास कराने में भाजपा का साथ दिया था।

प्रेरणा

निष्पक्ष भक्ति और अखंड समव्य का जीवंत स्वर

भारतीय अध्यात्म की धरती पर समय-समय पर ऐसे दिव्य व्यक्तित्व अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि धर्म का वास्तविक स्वरूप सीमाओं में नहीं, बल्कि असीम व्यापकता में निहित है। ऐसे ही अद्वितीय संतस्वरूप व्यक्तित्व थे Hanuman Prasad Poddar, जिन्हें स्नेहपूर्वक 'भाई जी' कहा जाता है। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत साधना का उदाहरण नहीं था, बल्कि वह समन्वय, निष्पक्षता और निस्वार्थ सेवा का एक जीवंत आदर्श था, जिसने लाखों लोगों के जीवन को दिशा प्रदान की। भाई जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी एक विचारधारा या संंप्रदाय की सीमा में बंधकर नहीं रह सकती। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सभी धार्मिक मार्ग अंततः एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। वे Gita Press Gorakhpur के संस्थापक थे, जिसने सनातन धर्म के ग्रंथों को जन-जन तक पहुँचाने का जो महान कार्य किया, वह आज भी अद्वितीय माना जाता है। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने धर्म को केवल पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे आम जन के जीवन का हिस्सा बना दिया। उनके द्वारा संपादित 'कल्याण' पत्रिका एक ऐसी आध्यात्मिक धारा थी, जिसमें विभिन्न संंप्रदायों के विचार एक साथ प्रवाहित होते थे। वैष्णव, निम्बार्क, रामानन्द, रामानुज और अन्य अनेक

परंपराओं के आचार्यों के विचारों को उन्होंने समान आदर के साथ प्रकाशित किया। उनके लिए कोई भी संंप्रदाय छोटा या बड़ा नहीं था, बल्कि सभी ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और सभी के प्रति समान श्रद्धा बनाए रखी। भाई जी के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग उनके अद्भूत आत्मसंयम और दूरदर्शिता को दर्शाता है। अनेक विचारकों के आचार्यों ने उन्हें अपने-अपने पंथ में दीक्षित करने का आग्रह किया, किन्तु उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ इसे अस्वीकार कर दिया। उनका उत्तर अत्यंत गहन था—यदि वे किसी एक संंप्रदाय में दीक्षित हो जाते, तो 'कल्याण' पत्रिका की निष्पक्षता पर आंच आ सकती थी। यह उत्तर केवल एक साधारण तर्क नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरी आध्यात्मिक समझ और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना निहित थी। उनका यह निर्णय दर्शाता है कि वे अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक लाभ से अधिक समाज के व्यापक हित को महत्व देते थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि यदि वे किसी एक पहचान में बंध जायेंगे, तो वे उस समन्वय की भावना को जीवित नहीं रख पाएंगे, जिसे वे समाज में स्थापित करना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने स्वयं को किसी एक संंप्रदाय की सीमाओं में नहीं बांधा, बल्कि सभी के लिए समान रूप से खुले रहे। एक बार जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि वे



केरल (1,084), तमिलनाडु (996), आंध्र प्रदेश और कर्नाटक (दोनों 993) जैसे दक्षिणी राज्यों का प्रदर्शन उत्तरी राज्यों की तुलना में इस पैमाने (और अन्य कई सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर भी) इतना बढ़िया क्यों है? दूसरा सवाल पूछना बनता है कि विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल के खिलाफ क्यों हैं? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए उस विधान का समर्थन क्यों नहीं किया, जिससे भारतीय राजनीति में उत्तरदाहर होना तय है? क्या विपक्ष महिला बला उठता है कि केरल के बाजार आबादी वाला पंजाब, दोनों की आबादी लगभग 3 करोड़ है, लिंगानुपात के पैमाने पर देशभर में दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य क्यों है?

दिन पहले बहुत बढ़िया लिखा था। सच तो यह है कि 2008 में कांग्रेस नीत यूपीए ने ही संसद में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पेश किया था, और सुनिश्चित किया कि 2010 में पास हो जाए, राज्य सभा में भी, ताकि यह 'लैम्प' न हो (तय अवधि में पास होना अनिवार्य है, परंतु जब कोई कानून राज्यसभा में पास हो जाए, तब 'लैम्प' नहीं होता)। कांग्रेस को अहसास था कि महिला आरक्षण बिल पर उसकी अपनी संसद नहीं हुआ। इन दिनों संसद इस कदर बंटी हुई है कि संसद एक-दूसरे से अपमानजनक रूप से बोल रहे हैं, इसके लिए एक बड़े दिल वाले और छोटे अहम वाले नेता की जरूरत है, जो महिला आरक्षण कानून पास कर देगी तो यह

उन महिलाओं के लिए दरवाजे खोल देगा 'जिन पर फजीबी करी जाती और सीटियाँ बजती हैं', जिसका मतलब था कि उसके पास अपने समय का कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि उन्हें लाने से पहले किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के साथ बहुत कम संवाद या चर्चा की गई थी -शायद पंजाब के एक हिस्से में बतौर पायलट प्रोजेक्ट इन कृषि कानूनों का प्रयोग किया जा सकता था, जिससे दोनों पक्षों को कोई राह मिल जाती- उसी तरह सत्ता पक्ष महिला आरक्षण कानून पास कराने लायक संख्या नहीं जुटा पाया। प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता से कह सकते थे: 'आइए मिलकर इतिहास लिखें -अब समय आ गया है कि महिलाएं कम से कम एक-तिहाई आसमान छूएं।' यूं तो देश की कुल आबादी में महिलाओं की गिनती 48-49 प्रतिशत हैं, लेकिन शुरुआत के लिए, उन्हें 33 फीसदी देते हैं, लेकिन शुरुआत के नेता का जवाब होता: 'हां, चलिए, हम साथ हैं।' दुर्भाग्यवश, मोदी, अमित मंत्री किरन रिजिजू और शेष वरिष्ठ भाजपा नेतृत्व को चाहिए था कि विपक्ष को बुलाकर महिला आरक्षण बिल पर उनका समर्थन मांगते। यह भी हो सकता था कि एक संयुक्त संसदीय समिति या कोई विशेष समिति, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते, इस कानून की तमाम धाराओं पर बारीकी से बहस करते -मसलन, क्या इसमें अन्य पिछड़ी जातियों और दलित महिलाओं के लिए 'कोटे के अंदर कोटा' होगा? - और एक बार आम सहमति बन जाने के बाद, नया कानून और उसे लागू करने की रूपरेखा को सदन में रखा जाता। बदकिस्मती से, न तो आम सहमति बनानी चाही और न ही हासिल की जा सकी क्योंकि कोई संसद नहीं हुआ। इन दिनों संसद इस कदर बंटी हुई है कि संसद एक-दूसरे से अपमानजनक रूप से बोल रहे हैं, इसके लिए एक बड़े दिल वाले और छोटे अहम वाले नेता की जरूरत है, जो महिला आरक्षण कानून पास कर देगी तो यह

जा सकता है। लेकिन जो हुआ, वह केवल एक बीमारी का परिणाम नहीं था। वह उन अनेक छोटी-बड़ी लापरवाहियों का परिणाम था, जो धीरे-धीरे मिलकर एक बड़े संकट में बदल जाती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बीमारी से हार नहीं मानी, बल्कि अस्पताल में मिली अत्यवस्था और लापरवाही के कारण जीवन से हार गए। यह बात केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रश्न है, जो हमारे पूरे सिस्टम के सामने खड़ा है। शाश्वत की कोशिशों, उनकी दौड़-भाग, उनकी गुराह—ये सब एक बेटे की अपने पिता को बचाने की अंतिम कोशिशें थीं। वह यहाँ से वहाँ भटकते रहे, लोगों से मिले, प्रशासन से गुराह लगाईं, लेकिन उनकी आवाज समय पर क्यों नहीं सुनी गई? क्या एक आम नागरिक की आवाज इतनी कमचोर हो गई है कि उसे सुने जाने के लिए पहले उसे सोशल मीडिया पर वायरल होना पड़ता है? जब स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर यह मूढ़ उठा, तब कहीं जाकर कुछ हलचल हुई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह 'देर' ही सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारे तंत्र में संवेदनशीलता इतनी कम हो गई है कि किसी की जान जाने के बाद ही हम जागते हैं? शाश्वत की आँखा में जो दर्द था, वह केवल अपने पिता को खोने का नहीं था, बल्कि उस असहायता का भी था, जिसमें उन्होंने सब कुछ होते हुए भी कुछ न कर पाने की पीड़ा महसूस की। उनका यह कहना कि 'मैंने तो अपने पिता को खो दिया, लेकिन किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए'—यह केवल एक भावुक वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतावनी है। इस बार दरवाजे पर शाश्वत थे, जैसे हमेशा होते थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और खालीपन था। कर्मों में प्रवेश करते ही जो दुश्चय सामने आया, उसे स्वीकार करना कठिन था। वहाँ विनोद जी नहीं थे, उनकी एक तस्वीर थी—माला चढ़ी हुई। वह तस्वीर जैसे एक कठोर सत्य की तरह सामने खड़ी थी, जिसे मन स्वीकार करने से इंकार कर रहा था। ऐसा लगा रहा था कि बस अभी वह दरवाजे से अंदर आएँगे, मुस्कुराएँगे और फूँगे—आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? लेकिन सच इतना सरल नहीं होता। वह अपनी पूरी कठोरता के साथ सामने खड़े हैं और हमें मजबूर करता है कि हम उसे स्वीकार करें। इस स्वीकार के साथ ही मन में एक और सवाल उठता है—क्या यह अंत ऐसा ही होना चाहिए था? जब एक ओर सोशल मीडिया पर लोग उनकी सही कहानी के लिए दुआ कर रहे थे, उनके प्रति अपना स्नेह और सम्मान व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वह अस्पताल की अत्यवस्था, लापरवाही और उदासीनता से जूझ रहे थे। यह विरोधाभास केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि हमारे पूरे स्वास्थ्य तंत्र की सच्चाई को उजागर करता है। विनोद जी को फेरफड़ों में पानी भरने की समस्या के कारण अस्पताल ले जाया गया था, जो इस घटना से हमारे सामने खड़े किए हैं। क्योंकि यदि हम इन सवालों से मुँह मोड़ लेंगे, तो यह उदासी एक एक भावना बनकर बढ़ जाएगी, कोई बदलाव नहीं ला पाएगी। वह पर जोर आ गई उदासी है। मौलश्री का पेड़ जैसे किसी का इंतजार कर रहा है। पछी आज भी आते हैं, लेकिन जैसे उन्हें भी कुछ कमी महसूस होती है। और हम सब—हम भी इस उदासी का हिस्सा हैं। लेकिन इस उदासी से बड़े कुछ सवाल हैं, जो लगातार हमारे भीतर गूँज रहे हैं। ये सवाल जवाब मांगते हैं—सिस्टम से, समाज से, हमसे। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक यह उदासी केवल एक यह एक ऐसी स्थिति थी, जिसका समय पर और सही उपचार किया जाए तो उसे संभाला

जनसेवा सर्वोपरि: 25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी का संकल्प, 'जनता दर्शन' में सीएम योगी का सरव संदेश

(जीएनएस)। लखनऊ के सत्ता गलियारों में आयोजित 'जनता दर्शन' कार्यक्रम उस जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा की झलक बनकर सामने आया, जहां सत्ता और जनता के बीच की दूरी कम होती दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने इस अवसर पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश को करीब 25 करोड़ आबादी की सेवा करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस दायित्व के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह केवल एक प्रशासनिक निर्देश नहीं था, बल्कि शासन की कार्यशैली और प्रशासनिकताओं का सार्वजनिक संकेत भी था, जिसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान को केंद्र में रखा गया।

'जनता दर्शन' कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोग अपनी समस्याओं और उम्मीदों के साथ

मुख्यमंत्री के सामने उपस्थित हुए। यह दृश्य अपने आप में बताता है कि आम नागरिक अब भी सीधे संवाद की इस प्रक्रिया को एक प्रभावी माध्यम मानता है। आवास, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे बड़ी संख्या में सामने आए, जो यह दर्शाते हैं कि विकास की प्रक्रिया के बावजूद जमीनी स्तर पर कई चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने हर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सरकार केवल सुनने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि समाधान की दिशा में तत्काल कदम उठाने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह संदेश प्रशासनिक तंत्र के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि अब केवल कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर परिणाम दिखाने होंगे। शासन की इस सख्ती का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना और



जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है। आर्थिक सहायता से जुड़े मामलों में भी मुख्यमंत्री का रुख सक्रिय और त्वरित दिखाने होंगे। शासन की इस सख्ती का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार लाना और

जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि उसे Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) के तहत लाभ दिलाया जाए। यह योजना छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी लगाने वालों के लिए आर्थिक सहायता के मामले में मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण संवेदनशील और व्यावहारिक दोनों नजर आया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मरीजों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके इलाज में आने वाले खर्च का तत्काल आकलन किया जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि समय रहते सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत का कारण बन सकता है, जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट दिशा देते हुए कहा कि आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनना चाहिए।


योजनाओं के तहत जल्द से जल्द लाभ दिया जाए। यह निर्देश केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। चिकित्सा सहायता के मामले में मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण संवेदनशील और व्यावहारिक दोनों नजर आया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मरीजों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके इलाज में आने वाले खर्च का तत्काल आकलन किया जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि समय रहते सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत का कारण बन सकता है, जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट दिशा देते हुए कहा कि आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में स्कूल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान निकाला जाए। यह दृष्टिकोण इस बात को दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को केवल एक सेवा नहीं, बल्कि भविष्य निर्माण का आधार मानती है। कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था और अवैध अतिक्रमण को दृष्टिकोण संवेदनशील और व्यावहारिक दोनों नजर आया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मरीजों को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके इलाज में आने वाले खर्च का तत्काल आकलन किया जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि समय रहते सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत का कारण बन सकता है, जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट दिशा देते हुए कहा कि आर्थिक अभाव किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनना चाहिए।

उभरा है। इसमें मुख्यमंत्री की सक्रियता और अधिकारियों की जवाबदेही का जो स्वरूप सामने आया है, वह यह संकेत देता है कि सरकार अब सेवा वितरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाना चाहती है। 25 करोड़ लोगों की सेवा का संकल्प केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक चुनौती है, जिसे पूरा करने के लिए प्रशासनिक इच्छाशक्ति, संसाधनों का सही उपयोग और निरंतर निगरानी आवश्यक है। इस पहल का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब इन निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा और आम नागरिक को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। शिल्लकार, 'जनता दर्शन' के माध्यम से दिया गया यह संदेश स्पष्ट है कि सरकार जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए हर शिकायत को गंभीरता से लेने और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा वडोदरा स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था की समीक्षा

समर सीज़न के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए वडोदरा मंडल प्रतिबद्ध



(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके द्वारा आज वडोदरा स्टेशन का दौरा किया गया और समर सीज़न के दौरान यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था की समीक्षा की गई। पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्रीअनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापित के अनुसार मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने इस दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए सभी अधिकारियों एवं स्टेशन स्टाफ को यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर सभी व्यवस्थाओं को सुचारु रखने के निर्देश दिए। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए वडोदरा मंडल द्वारा क्राउड मैनेजमेंट के विशेष प्रयास किये गए हैं। इसके लिए वडोदरा स्टेशन पर 350 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल का एक होलिंग एरिया बनाया गया है, जहां यात्री ट्रेन आने से पहले आराम कर सकते हैं होलिंग एरिया में सीटिंग व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, पर्याप्त लाइटिंग जैसी मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। यात्रियों की सहायता

उधना स्टेशन भगदड़ पर सियासत और सवाल: रेलवे के 'यू-टर्न' ने बढ़ाई शंकाएं, जिम्मेदारी तय करने की मांग तेज

(जीएनएस)। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार को हुई भगदड़ की घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस छेड़ दी है। यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दे एक बार फिर केंद्र में आ गए हैं। घटना के अगले ही दिन हालात सामान्य भले दिखें हों, लेकिन इसके पीछे छिपे सवाल और विवाद अब भी धमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब Western Railway के जनरल मैनेजर Ramashray Pandey ने घटनास्थल का दौरा कर लाठीचार्ज की खबरों को सिरि से खारिज कर दिया।

जनरल मैनेजर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यात्रियों पर किसी भी प्रकार का लाठीचार्ज नहीं किया गया। उनके अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जो दृश्य दिख रहे हैं, उनमें Railway Protection Force के जवान लाठियां ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन वह यात्रियों पर नहीं, बल्कि स्टेशन की फेंसिंग पर मार रहे थे, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को "गलत नैरेटिव" बताते हुए कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। हालांकि, रेलवे प्रशासन के इस बयान ने विवाद को शांत करने के बजाय और हवा दे दी है। प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों का कहना है कि स्थिति इतनी भयावह थी कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागना पड़ा। कई यात्रियों ने आरोप लगाया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिससे अफरा-तफरी और बढ़ गई। ऐसे में यह सवाल उठाना लाजिमी है कि यदि लाठीचार्ज नहीं हुआ, तो फिर भीड़ अचानक इतनी बेकाबू कैसे हो गई?

दूसरी ओर यात्री इसे अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मान रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना दिया है। वायरल वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लोगों के बीच तेजी से फैल रहे हैं, जिससे प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकों के बीच अंतर साफ नजर आ रहा है। यही कारण है कि यह मामला अब केवल एक स्थानीय घटना नहीं रह गया, बल्कि पूरे देश में रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे हैं। घटना के अगले दिन जब उधना स्टेशन पर सननाटा और सामान्य स्थिति देखने को मिली, तो यह एक तरह से राहत की बात जरूर थी, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। असली चुनौती यह है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए। इसके लिए केवल बयान देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि ठोस प्रबंधन केवल एक औपचारिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक अंतर्निहित व्यवस्था जिम्मेदारी है। त्योहारों, छुट्टियों या विशेष ट्रेनों के दौरान बड़ जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उधना स्टेशन की घटना इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं न कहीं गंभीर कमी है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण तत्व की संख्या बढ़ाना, नियमित प्रशिक्षण और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष ड्रिल भी जरूरी है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्रियों को सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। रेलवे केवल एक परिवहन सेवा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है। ऐसे में हर छोटी-बड़ी चूक का असर सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है।

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। शिक्षा और कला की कोई उम्र सीमा बांधन नहीं होता। राजस्थान के एक पूर्व सैनिक ने इसे साबित कर दिया है। इतना ही नहीं, वे आलसी लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं। राजस्थान के इस पूर्व सैनिक ने 138 डिग्रियां, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। यह आम लोगों की एक से पांच योग्यताओं की तुलना में कहीं अधिक है। झुंझुन जिले के निवासी दशरथ सिंह को हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के दीर्घांत समारोह में वैदिक अध्ययन में मास्टर डिग्री विशिष्टता के साथ पूरी करने पर उनकी नवीनतम योग्यता से सम्मानित किया गया।

55 वर्षीय दशरथ सिंह का दावा है कि उन्होंने 11 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इनमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज रिकॉर्ड शामिल हैं। ये सभी रिकॉर्ड शिक्षा के क्षेत्र में हैं। हालांकि पीटीआर को इन रिकॉर्ड्स की तस्वीरें विश्लेषण, वेक्टर सिगमलिंग और यात्रियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जैसी व्यवस्थाएं स्टाफ की संख्या बढ़ाना, नियमित प्रशिक्षण और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष ड्रिल भी जरूरी है।



युवाओं को सशस्त्र बलों में भेजने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1988 में भारतीय सेना में प्रवेश किया। पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर गैर-कमीशन अधिकारी के रूप में 16 वर्षों तक सेवा करने के बाद वे 2004 में सेना से सेवानिवृत्त हुए। किसान परिवार से आने वाले दशरथ सिंह कहते हैं कि सेवा के दौरान उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी शिक्षा "अधुरी" है। इसी भावना ने उन्हें सेवा के दौरान भी अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इसलिए जब भी उन्हें दो महीने की वार्षिक छुट्टी मिलती, वे उस छुट्टी का उपयोग पढ़ाई के लिए करते और सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने अपने शौक को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ाया। "मैंने सबसे पहले वाणिज्य में स्नातक की डिग्री पूरी की, फिर नियमित छात्र प्राप्त करना एक दूर का सपना लगता था।" उनका जन्म नवलगढ़ तालुका के खिरोद गांव में हुआ था, जो अपने

विश्व भारती संस्था और निजी विश्वविद्यालयों से अन्य योग्यताएं भी हासिल कीं।" दशरथ सिंह कहते हैं। अब तक उन्होंने तीन पीएच.डी. सात स्नातक डिग्री, 46 स्नातकोत्तर डिग्री, 23 डिप्लोमा, सैन्य अध्ययन से संबंधित सात डिग्री और विभिन्न विषयों में 52 प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद का सफर सिर्फ डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं था। सेवानिवृत्ति के बाद, मैंने सैनिकों के कल्याण में योगदान देने की आवश्यकता महसूस की। मैंने कानून की डिग्री प्राप्त की और वकालत शुरू कर दी। दशरथ सिंह बताते हैं, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद सेना की सशस्त्र प्रशिक्षण में कानूनी सलाहकार का पद संभाला और सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों से संबंधित मामलों को संभाला। यह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति की कहानी है। अगर कोई अश्वेत व्यक्ति ठान ले तो क्या नहीं कर सकता?

एसआईआर के खिलाफ आवाज: बुद्धिजीवी-वकीलों ने मतदाता सूची समीक्षा को तत्काल समाप्त करने की मांग की

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में नगर निगमों से लेकर विधानसभाओं तक के चुनाव चल रहे हैं और चल रही मतदाता सूची समीक्षा (एसआईआर) का भी विरोध हो रहा है। ऐसे में बुद्धिजीवियों, वकीलों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मतदाता सूची समीक्षा (एसआईआर) को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। उन्होंने इसे "नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध" बताया है और पुरानी मतदाता सूचियों को जारी रखने और उनके आधार पर चुनाव कराने का आह्वान किया है।



आयोजकों द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापित के अनुसार, यह मांग शनिवार को प्रेस क्लब

ऑफ इंडिया में मानवाधिकार संगठन "जन हस्तक्षेप" द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में रखी गई थी। संगोष्ठी में पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरेशी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व

प्रोफेसर बंदी रैना, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की अध्यक्ष संगीता बरआ पिशासरोटी सहित अन्य उपस्थित थे। संगोष्ठी में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। पश्चिम बंगाल समेत देश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, जिन लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, उनकी अपील पर तुरंत फैसला किया जाना चाहिए। उन्हें मतदान करने की

अनुमति दी जाना चाहिए। या फिर सभी के लिए मतदान के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 2025 की अद्यतन मतदाता सूची का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि अन्यथा पश्चिम बंगाल विधानसभा के चल रहे चुनाव निरर्थक हो जाएंगे। एसआईआर प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करना है, यह नागरिकता दस्तावेजों की मांग या सत्यापन नहीं कर सकता। नागरिकता का निर्धारण गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस संगोष्ठी के संयोजक जेएनपी के विकास बाजपेयी और सह-संयोजक पत्रकार अनिल दुबे थे।

उधना स्टेशन पर भीड़ का विस्फोट: ट्रेनों की कमी से मचा हाहाकार, 20 हजार यात्रियों ने बिगाड़े हालात

(जीएनएस)। सूरत। शहर के उधना रेलवे स्टेशन पर रविवार को जो नजारा देखने को मिला, उसने एक बार फिर देश के व्यस्त रेलवे नेटवर्क और प्रवासी यात्रियों की चुनौतियों को उजागर कर दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों की अचानक उमड़ी भीड़ ने स्टेशन को मानो उधर सा दिया। करीब 20 हजार यात्रियों के एक साथ पहुंचने से प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जहां लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने की ज़रूरत में घंटों तक जूझते रहे। स्थिति इतनी विकट हो गई कि यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की और अव्यवस्था आम बात बन गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार विकास परिषद के पदाधिकारियों ने

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक रामाश्रय पांडे से मुलाकात कर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। परिषद ने स्पष्ट किया कि यह समस्या अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थागत कमी का परिणाम है। प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों की लगातार बढ़ती संख्या के मुकाबले ट्रेनों की उपलब्धता बेहद कम है, जिससे हर बार त्योहारों, छुट्टियों या यात्रियों की संख्या को देखते हुए पहले से कुछ दिनों में ही टिकटों की कमी शुरू हो जाती है। इस भीड़ के सामने वे नाकाफी साबित हुईं। हालात को संभालने के लिए आनन-फानन में एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था भी की गई। लेकिन सूचना के अभाव और अफवाहों के

चलते स्थिति और बिगड़ गई। बड़ी संख्या में यात्रियों को यह भ्रम हो गया कि इस अनारक्षित स्पेशल ट्रेन में आसानी से सीट मिल जाएगी, जिसके कारण भीड़ एक ही स्थान पर केंद्रित हो गई और अव्यवस्था चरम पर पहुंच गई। इस घटना ने एक और गंभीर तथ्य को उजागर किया—बिहार जाने वाली नियमित ट्रेनों में अगले दो महीनों तक सीटों की उपलब्धता विशेष अवसरों पर ऐसी भीड़ का विस्फोट होता है। रेलवे प्रशासन ने यह स्वीकार किया कि यात्रियों की संख्या को देखते हुए पहले से कुछ दिनों में ही टिकटों की कमी शुरू हो जाती है। इस भीड़ के सामने वे नाकाफी साबित हुईं। हालात को संभालने के लिए आनन-फानन में एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था भी की गई। लेकिन सूचना के अभाव और अफवाहों के

लंबे समय से केंद्रीय स्तर पर मांग उठाई है कि सूरत जैसे औद्योगिक शहरों से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए नियमित ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। परिषद का कहना है कि सूरत में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रहते हैं, जो समय-समय पर अपने गृह राज्यों की यात्रा करते हैं, लेकिन ट्रेनों की सीमित संख्या के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए परिषद ने कई व्यावहारिक सुझाव भी दिए हैं। इनमें ट्रेन संख्या 20933 उधना-दानापुर एक्सप्रेस को प्रतिदिन जयनगर तक नियमित रूप से चलाने, उधना से भागलपुर के लिए नई दैनिक ट्रेन शुरू करने और उधना से कोडरमा वाया गया के लिए प्रतिदिन ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग शामिल है।

सोना वायदा में 763 रुपये और चांदी वायदा में 4741 रुपये की नरमी: क्रूड ऑयल वायदा 475 रुपये तेज

मुंबई: देश के अग्रणी कर्मांडिटो डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कर्मांडिटो वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 194758.01 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कर्मांडिटो वायदाओं में 22482.58 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कर्मांडिटो ऑप्शंस में 172275.43 करोड़ रुपये का नॉनराल टर्नओवर हुआ। कर्मांडिटो ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2617.28 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 14946.56 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 153158 रुपये के भाव पर खुलकर, 153880 रुपये के दिन के उच्च और 152799 रुपये के नीचेले स्तर को छूकर, 154609 रुपये के पिछले बंद के सामने 763 रुपये या 0.49 फीसदी बढ़कर 153846 रुपये प्रति 10 ग्राम लुहा गया। गोल्ड-मिनी अप्रैल वायदा 653 रुपये या 0.53 फीसदी घटकर 122680 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 71 रुपये या 0.46 फीसदी घटकर 15375 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा

था। सोना-मिनी मई वायदा 151982 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 152450 रुपये और नीचे में 151256 रुपये पर पहुंचकर, 758 रुपये या 0.49 फीसदी घटकर 152418 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। गोल्ड-ट्रेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम 152232 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 152665 रुपये और नीचे में 151576 रुपये पर पहुंचकर, 153398 रुपये के पिछले बंद के सामने 781 रुपये या 0.51 फीसदी घटकर 152617 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड हो रहा था। चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 253453 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 254089 रुपये और नीचे में 250730 रुपये पर पहुंचकर, 257142 रुपये के पिछले बंद के सामने 4741 रुपये या 1.84 फीसदी घटकर 252401 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 413 रुपये या 1.59 फीसदी औधकर 254420 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 4150 रुपये या 1.61 फीसदी घटकर 254389 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।



मेटल वर्ग में 2307.60 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा 3.6 रुपये या 0.28 फीसदी औधकर 1269.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 2.35 रुपये या 0.69 फीसदी की तेजी के संग 341.45 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इससे सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 1.95 रुपये या 0.54 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 365.4 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 25 पैसे या 0.13 फीसदी घटकर 194.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इन जिनसे के अलावा कारोबारियों ने एनजी सेगमेंट में 4888.77 करोड़ रुपये के सीदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा 8077 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 8388 रुपये और नीचे में 8077 रुपये पर पहुंचकर, 475 रुपये या 6.12 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट

8242 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 466 रुपये या 6 फीसदी बढ़कर 8234 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 252.3 रुपये के भाव पर खुलकर, 255.8 रुपये के दिन के उच्च और 250.5 रुपये के नीचेले स्तर को छूकर, 250.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 4.8 रुपये या 1.5 फीसदी की बढ़त के साथ 254.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा 8077 रुपये पर खुलकर, ऊपर में 8388 रुपये और नीचे में 8077 रुपये पर पहुंचकर, 475 रुपये या 6.12 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट

988.3 रुपये पर खुलकर, 90 पैसे या 0.09 फीसदी टूटकर 991 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 7728.55 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 7218.00 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1650.14 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 364.41 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 20.83 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 263.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिनसे के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 3670.94 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 1188.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.50 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

26992 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 373265 लोट और गोल्ड-ट्रेन के वायदाओं में 61804 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7734 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 24182 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 87178 लोट रुपये स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14989 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 39621 लोट के स्तर पर था। कर्मांडिटो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मई 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 89.7 रुपये की बढ़त के साथ 235.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 255 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 222.5 रुपये की गिरावट के साथ 760 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 260000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2635.5 रुपये की गिरावट के साथ 2680.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस

का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.69 रुपये की गिरावट के साथ 1.42 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 335 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.26 रुपये की गिरावट के साथ 6.99 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मई 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 106.9 रुपये की गिरावट के साथ 185.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस अप्रैल 250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.65 रुपये की गिरावट के साथ 3.5 रुपये हुआ। सोना अप्रैल 145000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 29 रुपये की बढ़त के साथ 444 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी अप्रैल 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 952.5 रुपये की बढ़त के साथ 4256.5 रुपये हुआ। तांबा अप्रैल 1260 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.07 रुपये की गिरावट के साथ 11.6 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.14 रुपये की बढ़त के साथ 10.4 रुपये हुआ।